न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 94/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरकाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी गोवाखुर्द तहसील व जिला नागौर		सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानराम सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:31.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 327/2017 सरकार बनाम हरकाराम में निर्णय दिनांक 06.11.17 के तहत मौजा गोवाखुर्द के खसरा नं. 414 रकबा 11.17 बीघा गै.मु. मगरा भूमि, खसरा नं. 415 रकबा 1.13 बीघा गै.मु. रास्ता तथा खसरा नं. 420 रकबा 2 बीघा गै.मु. मगरा कुल 15.10 बीघा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.11.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अपनी अपील के समर्थन मे तहसीलदार नागौर के निर्णय दिनांक 6.11.17 की फोटोप्रति, एसडीओ नागौर के वाद सं. 68/17 हरकाराम बनाम सरकार में फर्द अहकाम दिनांक 13.10.17 से 26.7.18 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण सं. 279/17 हरकाराम बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 15.11.17 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अपीलांट के खिलाफ खसरा नं. 414, 415 तथा 420 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा मौजा गोवाखुर्द पर संवत 2074 मे अतिक्रमण करने की कार्यवाही गलत की गई है। इस बारे मे अपीलांट ने अपने जवाब मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संवत 2074 मे उपरोक्त खसरो पर कोई नया अतिक्रमण नही किया है, केवल खसरा नं. 414 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग संवत 2010 से लेकर आज तक लगातार रहता चला आया है तथा मोके पर खसरा नं. 414 तथा खसरा नं. 414/433 दोनो का रकबा मौके पर एकल खेत के रूप मे ही पुरातन समय से रहता चला आया है, जिसमे से 15 बीघा तो नियमन कर दिया गया, जिसके अलग से खसरा नं. 414/433 कायम किये गये तथा शेष बचे हुए रकबे के खसरा नं. 414 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा रहे, जिस पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, जो संवत 2074 मे अतिक्रमण गलत बताया जा रहा है, जबकि कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग पुराने समय से होने तथा किस्म गै.मु. मगरा होने से अधीनस्थ न्यायालय तत्कालीन तहसीलदार नागौर द्वारा तीन बार अपीलांट के पक्ष मे इस भूमि को नियमन करने की सिफारिश करते हुए पत्रावलियां सलाहकार समिति को भेजी गई है, आखिरी बार 29.03.04 को नियमन की सिफारिश करते हुए तहसीलदार नागौर ने स्वयं ने पत्रावली सलाहकार समिति मे नियमन हेतु रखने के लिये उपखण्ड अधिकारी नागौर के पास भेजी, जो

अपर कलक्टर, नागौर

पत्रावली आज भी विचाराधीन है, उसका फैसला नही हुआ है, इसलिये जब तक नियमन की सिफारिश करते हुए उपखण्ड अधिकारी को भेजी गई पत्रावली पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाकर निर्णय कर वापस तहसीलदार के पास नही आती, तब तक खसरा नं. 414 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के बारे मे निर्णय जैर अपील के द्वारा बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित करना किसी भी रूप से कानून के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आराजी भूमि को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के तहत नियमित न्यायालय मे वाद सं. 68/16 हरकाराम बनाम तहसीलदार नागौर विचाराधीन है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण सं. 279/17 हरकाराम बनाम सरकार मे आराजी भूमि की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने को लेकर दिनांक 15.11.17 को स्थगन आदेश जारी हुआ। जो वर्तमान मे भी प्रभावशील है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–खसरा नं. 415 व 420 पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है इस बात को अपीलांट ने अपने जवाब मे स्पष्ट कर दिया है फिर भी इन दो खसरो पर भी बिना किसी सबूत व बिना किसी आधार के अतिक्रमी मानने मे बडी भारी कानूनी एवं वाक्याति भूल की है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 414 को सार्वजनिक उपयोग का मानने मे बडी भारी भूल की है, जबकि खसरा नं. 414 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. मगरा लिखा है जो राजस्व विभाग राज. सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्रो के अनुसार नियमन व आवंटन काबिल है तथा इस तथ्य का उल्लेख 2004 मे नियमन करने बाबत सिफारिश करने का आदेश दिया, उसमे तहसीलदार स्वयं ने उल्लेख किया है तथा इसी खसरा मे से 15 बीघा पूर्व मे नियमन की गई है, इस प्रकार एक ही अदालत द्वारा दो प्रकार की राय एक ही रकबा के बारे मे नही मानी जा सकती है, इस प्रकार इन सब तथ्यो से भी स्पष्ट रूप से जाहिर है कि निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है तथा पूर्व मे नियमन की सिफारिश की जाकर भेजी गई पत्रावली के सलाहकार समिति से निर्णय होकर वापस नही आने तक निर्णय जैर अपील पारित करने मे बडी भारी कानूनी व वाक्याति भूल की है, जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज किया जाना न्याय संगत है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नही दिया, मौका नही देखा तथा यहां तक कि पटवारी हल्का के बयान भी नही लिये तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतो पर भी कोई विचारण एवं विश्लेषण नही किया है। जिससे भी निर्णय अपील निरस्तनीय है।

{2}(VI)–विवादित खसरा नं. 414 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा गै.मु. मगरा केवल राजस्व रेकर्ड मे मगरा जरूर लिखा है, लेकिन मौके पर मगरा नही है, अपीलांट ने अपनी पूरी मेहनत व आर्थिक खर्चा करके 2010 से लेकर आज तक उपजाऊ व काबिल काश्त बना लिया है खेत के चारो तरफ अपीलांट की पुरातन धोरे व खंदक वगैरा पुख्ता रूप से मौजूद है, किसी भी रूप से यह खेत सार्वजनिक उपयोग व सार्वजनिक उपभोग की भूमि नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यो एवं परिस्थितियो पर विचारण व विश्लेषण किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने मे बडी भारी कानूनी व वाक्याति भूल की है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है तथा विवादित खेत खसरा नं. 414 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट के पक्ष मे नियमन किये जाने का आदेश पारित करना न्याय संगत है।

{2}(VII)–अपीलांट रिटायर्ड फौजी है तथा भारतीय वायुसेना के जेसीओ पद से रिटायर हुआ है तथा अपीलांट के पास पूर्व मे नियमन की गई 15 बीघा भूमि तथा विवादित भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा के अलावा अन्य कोई खातेदारी की भूमि नही है इस भूमि मे ही पूरी मेहनत कर कृषि कार्य करता है तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इस बात पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण नही किया है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा गोवाखुर्द में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा व रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का ग्राम गोवाखुर्द

अपर कलक्टर, नागौर

के खसरा नं. 414 रकबा 11.17 बीघा गै.मु. मगरा भूमि, खसरा नं. 415 रकबा 1.13 बीघा गै.मु. रास्ता तथा खसरा नं. 420 रकबा 2 बीघा गै.मु. मगरा कुल 15.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील किया गया है। प्रकरण मे पत्रावली सं. 128/03 सरकार बनाम हरकाराम न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर मे दिनांक 29.03.04 को ग्राम गोवाखुर्द के खसरा नं. 414 रकबा 7.10 बीघा निःशुल्क व 4.02 बीघा कीमतन नियमन की जाने की सिफाशि की गई है। उक्त नियमन सिफारिश पर सलाहकार समिति द्वारा क्या निर्णय लिया गया। ऐसा कोई दस्तावेजी आधार नही है। साथ ही आराजी भूमि को लेकर नियमित राजस्व न्यायालय मे काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर से दिनांक 15.11.17 को मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश भी है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑबजरवेशन को ध्यान मे रखते हुए अपीलांट को नोटिस देकर पर्याप्त जवाब, शहादत, सबूत का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश एक माह में पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर